न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 159/2023/अपील/एलआरएक्ट/कोटा

दायरा दिनांकः 6.10.2023

अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री कृष्ण जाति माली नि0 तलाब हाल निवासी फतेहपुर का रास्ता इटावा जिला कोटा।
2. शंकर पुत्र श्री कृष्ण जाति माली निवासी तलाब तहसील पीपल्दा जिला कोटा–राज0।

...अपीलांट्स

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र बद्रीलाल (माता का नाम चमेली) जाति माली नि0 इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
2. मुकेश पुत्र बद्रीलाल (माता का नाम चमेली) जाति माली नि0 इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
3. छोटूलाल पुत्र बद्रीलाल (माता का नाम चमेली) जाति माली नि0 इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
4. धन्नीबाई पुत्री बद्रीलाल (माता का नाम चमेली) जाति माली नि0 इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
5. शाति उर्फसंतोष पुत्री बद्रीलाल (माता कानाम चमेली) जाति माली नि0 इटावा तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
6. तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा।

... रेस्पोडेन्ट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त * कोटा *

उपस्थित : श्री सी0पी0 खण्डेलवाल अभिभाषक –अपीलांट्स
श्री मुकेश शर्मा अभिभाषक –रेस्पोडेन्ट्स कम 1 ता 5

::निर्णय::

दिनांक 23.5.2024

अपीलार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ढ अधिकारी इटावा जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मि0 न0 12/2022 (अपील) अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम बउनवान भंवरलाल वगेरा बनाम ओमप्रकाश आदि मे पारित निर्णय दिनांक 24.7.2023 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि ग्राम पंचायत तलाब तह0 पीपल्दा द्वारा ग्राम तलाब की वादग्रस्त आराजी मे (मृतक) चमेली बाई के निहित हिस्से 1/2 का उसकी मृत्यु उपरांत नामान्तरकरण संख्या 765 दिनांक 5.12.2009 से उसका नाम खाते से हटाये जाने का स्वीकृत नामान्तरकरण विधि विरूद्ध एंव तथ्यों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य होने से मृतक चमेली बाई के वारिसान भंवरलाल वगेरा द्वारा उक्त नामा0 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा मे पेश की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 24.7.2023 से स्वीकार कर नामा0 सं0 765 दिनांक 5.12.2009 ग्राम पंचायत तलाब निरस्त किया जाकर तहसीलदार पीपल्दा को आदेशित किया गया कि ग्राम पंचायत तलाब की खसरा सं0 763 रकबा 0.44 है0, ख0 सं0 769 रकबा 0.06 है0, खसरा स0 773 रकबा 0.10 है0, खसरा सं0 801 रकबा 0.02 है0, ख0 सं0 955 रकबा 0.12 है0 कुल 5 किता की 0.74 है0 के 1/2 हिस्से की भूमि पर भंवरलाल वगेरा का नाम समभाग से दर्ज किया जावे। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 24.7.2023 से व्यथित होकर ओमप्रकाश, शंकरलाल अपीलांट्स द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधि0 की धारा 76 के अन्तर्गत रेस्पो0 भंवरलाल आदि के विरूद्ध न्यायालय मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने नामा0 सं0 765 दिनांक 5.12.

अति. सं. आयुक्त
कोटा

2009 निरस्त कर वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से पर रेस्पो0 कम 1 लगायत 5 का नाम समभाग से दर्ज करने का आदेश प्रदान कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नही किया। उक्त नामा0 की प्रारम्भ से ही रेस्पो0 कम 1 लगायत 5 को जानकारी रही है। उक्त नामा0 से सहमत होने के कारण रेस्पो0 द्वारा तत्समय नामान्तरकरण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की गई। लम्बे अर्से 13 बर्ष बाद रेस्पो0 द्वारा बद्नियति के आशय से प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील पेश की गई जो स्पष्टतया अवधि बाधित होने से खारिज किये जाने योग्य थी इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश प्रदान करने मे त्रुटि की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कब्जा व उत्तराधिकार की समुचित जांच किये बिना ही जेरअपील आदेश पारित कर दिया। रेस्पो0 1 लगायत 5 ने मृतक चमेली बाई के विधिक वारिस व उत्तराधिकारी होने बावत कोई साक्ष्य प्रथम अपीलीय न्यायालय मे प्रस्तुत नही की थी इसके बावजूद न्यायालय ने समुचित जांच करवाये बिना ही अपीलाधीन आदेश प्रदान कर त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय 24.7.2023 निरस्त किये जाने तथा नामा0 सं0 765 को बहाल रखे जाने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी व जवाबदेही का अवसर प्रदान नही कर 13 वर्ष बाद प्रस्तुत अवधि बाधित अपील को स्वीकार करने मे त्रुटि की है। बहस मे आगे बताया कि उक्त नामा0 की रेस्पो0 को प्रारम्भ से जानकारी थी तथा सहमत होने के कारण रेस्पो0 द्वारा तत्समय नामा0 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की। अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जा व उत्तराधिकार की समुचित जांच नही की। ग्राम पंचायत का रेकार्ड तलब नही किया गया ना ही कोई जवाब ही लिया गया। अपने बहस के समर्थन मे आरबीजे 2009 पेज 208, आरआरटी 2013 (1) पेज 424, आरआरटी 2002 (1) पेज 674 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत होना जाहिर करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपील, प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की गई थी। विलम्ब अवधि सद्भाविक होने से अधीनस्थ न्यायालय ने क्षम्य की जाकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील खारिज योग्य है।

5 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन कर प्रकरण मे अभि0 अपीलांट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणें पर गौर किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव जेरअपील निर्णय दिनांक 24.7.2023 के अवलोकन से प्रकट होता है कि पटवारी द्वारा खातेदार चमेलीबाई के फौत होने पर मुताबिक सजरा वारिसान नामा0 सं0 765 दिनांक 5.12.2009 दर्ज कर बाद जांच गिरदावर के आदेश हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया गया जिसे ग्राम पंचायत तलाब द्वारा कानून व तथ्यो से परे जाकर मृतक के वारिसान ससुराल पक्ष के होने तथा उक्त भूमि मृतक के पीहर पक्ष की होने से मृतक चमेली का नाम खाते से हटाया जाना स्वीकार किया गया। उक्त नामा0 आदेश को मृतक चमेलीबाई के वारितसान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे चुनोती दी गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील प्रकरण मे मियाद के बिन्दू का निस्तारण कर अपील पेश करने मे हुई देरी क्षम्य की जाकर अपील का गुणावगुण के आधार विवेचन कर जेरअपील निर्णय दिनांक 24.7.2023 पारित किया है। यहां यह तथ्य भी विवेचनीय है कि उच्चतर न्यायालयों द्वारा कई निर्णयो मे मियाद के बिन्दू के संबध मे प्रतिपादित मत अनुसार जहां प्रकरण मे कानूनी बिन्दू विद्यमान हो वहां मियाद के बिन्दू को गौण माना है। चूकि इस प्रकरण मे कानूनी बिन्दू प्रारम्भ से ही विद्यमान होना प्रकट होता है ऐसी स्थिति मे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील पेश करने मे हुई देरी क्षम्य कर अपील को अवधि मध्य मानते हुये गुणावगुण

अति. सं. आयुक्त
कोटा

के आधार पर विचार कर निर्णित किया है जिसमे हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक मे प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरबीजे 2009 पेज 208, आरआरटी 2013 (1) पेज 424, आरआरटी 2002 (1) पेज 674 प्रश्नगत प्रकरण मे चस्पा नही होते है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील का गुणावगुण के आधार पर विचार कर अपने निर्णय मे यह अभिमत प्रकट किया है कि निंवसीयत मरने वाली हिन्दू नारी की सम्पत्ति के प्रथम वारिस उसके पुत्र, पुत्री, होतो है इस कारण आक्षेपित नामान्तरकरण से मृतक चमेलीबाई का नाम खाते से हटाने का आदेश त्रुटिपूर्ण होने से तथा चमेली बाई के वारिसान का कोई विवाद नही होने से चमेली बाई के वारिसान की पुनः जांच की आवश्यकता नही होना मानते हुये रेस्पो0 भंवरलाल वगेरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत की गई अपील को स्वीकार करते हुये नामा0 सं0 765 दिनांक 5.12.2009 ग्राम पंचायत तलाब निरस्त कर तहसीलदार पीपल्दा को आदेशित किया गया कि ग्राम पंचायत तलाब की खसरा सं0 763 रकबा 0.44 है0, ख0 सं0 769 रकबा 0.06 है0, खसरा स0 773 रकबा 0.10 है0, खसरा सं0 801 रकबा 0.02 है0, ख0 सं0 955 रकबा 0.12 है0 कुल 5 किता की 0.74 है0 के 1/2 हिस्से की भूमि पर भंवरलाल वगेरा का नाम समभाग से दर्ज किये जाने का दिनांक 24.7.2023 को निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अभिमत एंव प्रकरण मे पारित निर्णय विधिसम्मत होने से अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय मे किसी प्रकार के हसतक्षेप की गुंजाइश नही है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन, बलहीन होने से खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 23.5.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
कोटा